गोविन्द वन्य जीव विहार
एवं राष्ट्रीय पार्क

कार्यालय- उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला
उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)
फोन/फैक्स : 01373-223433, ई-मेल : gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1709/15-1 दिनांक 21/06/2018

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक,
आई0टी0जी0सी0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **पर्यटको के आवागमन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रायः यह सज्ञांन में आया है कि भारतीय एंव विदेशी पर्यटक गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला क्षेत्र में हर समय भ्रमण पर आ रहे है, क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एंव दैवीय आपदा आदि प्राकृतिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में सफल पर्यटन हेतु निम्न निर्णय लिये गये है:-

1. गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0के विभिन्न ट्रैंकिंग स्थलों पर जाने हेतु अनुमति हेतु ऑन लाईन सुविधा Uttarkashi.nic.in से सिंगल विन्डो पर उपलब्ध है।
2. ऑन लाईन अपलोड होने पर अनुमति की हार्ड कापी उप निदेशक कार्यालय से प्राप्त की जायगी जिस पर उप निदेशक एंव उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर होगे हार्ड कापी प्राप्त करते समय आधार कार्ड,अन्य परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा।
3. कार्यालय से अनुमति प्राप्त करते समय आधार कार्ड,वोटर आई0डी0, अन्य पहिचान-पत्र आदि जमा करना अति आवश्यक है।
4. अनुमति की हार्ड कापी प्राप्त करने के बाद निर्धोरित शुल्क(निम्न प्रकार) नैटवाड़ बैरियर पर जमा कराना होगा।
    1. प्रवेश शुल्क (प्रति व्यक्ति प्रथम तीन दिन व दो रात्रि के लिये):-भारतीय-150.00(रू0)एंव विदेशी-600.00(रू0)
    2. प्रत्यके अतरिक्त दिन के लिएः- भारतीय- 50.00(रू0) एंव विदेशी-250.00(रू0)
5. 01 जुलाई से प्रत्येक 31 अगस्त तथा 01दिसम्बर से 28 फरवरी तक वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पर्यटक आवागमन हेतु बन्द रहेगे।
6. उच्च हिमालय क्षेत्र (रूपिन पास,भड़ासु पास,रूइनासार,देवक्यारा,वालीपास,हरीकदून और केदारकांठा)में जाने के लिए उपनिदेशक कार्यालय में स्वाथ्य परीक्षण रिपोर्ट देना आवश्यक होगा।
7. ट्रैंकिग में आये दलो को किसी भी दशा में अंसगठित/बिना पूर्व तैयारी/सूचना तथा मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त किये बिना अनुमति नही दी जायगी।
8. ट्रैंकिग दल के साथ स्थनीय टूर ऑपरेटर एंव गाईड जो उपनिदेशक कार्यालय में पंजिकृत हो उसे साथ रखना आवश्यक है।

अतः महोदय से निवदेन है कि उक्त शर्तो को विभागीय बेवसाईट forest.uk.gov.in पर अपलोड करने की कृपा करे। ताकि पर्यटक/ट्रेकरो को असुविधा न हो।

भवदीय

उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीवविहार/
राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वन क्षेत्राधिकारी, रूपिन,सुपिन एंव सांकरी को आवश्यक सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. समस्त टूर आपॅरेटर गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/
राष्ट्रीय पार्कपुरोला, उत्तरकाशी